प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अमरोहा

पत्रांक 3139 / 13ए0बी0–15 दिनांक 04 सितम्बर 2015

सेवा में,

परियोजना प्रबन्धक
यूनिट–18, कन्सट्रक्शन एवं डिजाईन सर्विसेज
उत्तर प्रदेश जल निगम
बी–2/199, ढाबे वाला मन्दिर के पीछे
आशियाना फेज–2, मुरादाबाद।

विषय :– अमरोहा नगर की जल निकासी योजना में अमरोहा कांठ मार्ग पर नाला निर्माण एन0ओ0सी0 के सम्बन्ध में।

संदर्भ :– आपका पत्र सं0 1317/कार्य–45/36 दिनांक 20.08.2015।

---X---

आपके उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद अमरोहा के मुख्याः अमरोहा नगर की जल निकासी हेतु विशेष सचिव, नियोजन अनुभाग–4, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश 16/1518/35–4–2014 दिनांक 11.12.2014 के द्वारा प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई है। प्र स्वीकृति के अनुसार जल निकासी हेतु धनौरा–अमरोहा–कांठ मार्ग (प्रमुख जिला मार्ग– डब्लू0–150) के चैने 21.840 से 26.540 के मध्य मार्ग के दाहिनी ओर नाला का निर्माण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है तथा उ कार्य मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रचलित ई–गर्वेनेन्स सूची के अन्तर्गत भी है।

आपके उक्त संदर्भित पत्र के द्वारा प्रस्तावित नाले व मार्ग की दूरी दर्शाते हुए मानचित्र जिलाधिकारी महोदय के द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में, अर्न्तविभागीय बैठकों में आपके द्वारा दी सहमति के अनुसार लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व वाली भूमि के बाहरी छोर पर ही नाले का निर्माण करा कराया जाना है। अतः उपरोक्तानुसार नाला निर्माण के पश्चात् लोक निर्माण विभाग के मार्ग के किनारे उपलब्ध पटरी की चौड़ाई निम्नानुसार रहेगी –

क्रम सं0	चैनेज	नाला निर्माण के पश्चात् मार्ग के किनारे पटरी की चौड़ाई
1	21.840	3.00 m
2	21.940	3.20 m
3	22.040	3.50 m
4	22.140	3.50 m
5	22.240	3.50 m
6	22.340	3.50 m
7	22.440	3.50 m
8	22.540	3.50 m
9	22.640	3.50 m
10	22.740	3.50 m
11	22.840	3.50 m
12	22.940	3.50 m
13	23.040	4.00 m
14	23.140	4.50 m
15	23.240	5.00 m
16	23.340	5.50 m
17	23.440	5.50 m
18	23.540	5.50 m
19	23.640	5.50 m
20	23.740	5.50 m
21	23.840	5.50 m

क्रमशः पृष्ठ 2 पर

प्रभागीय वनाधिकारी
अमरोहा वन प्रभाग
अमरोहा

29

क्रम सं0	चैनेज	सड़क के किनारे से नाले के अन्तिम छोर की दूरी
22	23.940	8.00 m
23	24.040	8.70 m
24	24.140	9.50 m
25	24.240	7.50 m
26	24.340	5.50 m
27	24.440	5.50 m
28	24.540	7.00 m
29	24.640	9.70 m
30	24.740	12.00 m
31	24.840	13.20 m
32	24.940	14.30 m
33	25.040	15.50 m
34	25.140	15.50 m
35	25.240	15.50 m
36	25.340	15.50 m
37	25.440	15.50 m
38	25.540	15.50 m
39	25.640	15.50 m
40	25.740	13.50 m
41	25.840	12.50 m
42	25.940	9.50 m
43	26.040	9.50 m
44	26.140	9.50 m
45	26.240	9.50 m
46	26.340	9.50 m
47	26.440	9.50 m
48	26.540	9.50 m

मार्ग के चैनेज 24.540 से 25.640 तक मार्ग के किनारे स्थित अतिक्रमण को आवश्यकतानुरु ध्वस्त कर अथवा उक्त लम्बाई में भूमिगत नाले का निर्माण कार्य कराया जाना होगा, जिसका पूर्ण दायि कार्यदायी संस्था का होगा। अतः मार्ग की चैनेज 21.840 से 26.540 के मध्य नाला का निर्माण कार्य कराये ज हेतु निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अन्तर्गत अनापत्ति प्रदान की जाती है।

1 — प्रस्तावित निर्माण कार्य उपलब्ध कराये गये मानचित्र के अनुसार ही कराना होगा।
2 — प्रस्तावित नाले का टाप लेबिल मार्ग के कैरिज–वे के किनारे से 30 सेमी0 नीचे रखना होगा।
3 — प्रमुख जिला मार्ग–डब्लू0–150 से निकलने वाले समस्त ग्रामीण मार्गों/अन्य भवनों के पहुँच मार्ग हे नाले की चौड़ाई के बराबर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण कराना होगा।
4 — निर्माण के समय लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों निरीक्षण करने का पूर्ण अधिक होगा।
5 — मार्ग की लेपित सतह के दोनों ओर लो0नि0वि0 की भूमि संरक्षित वन क्षेत्र के अन्तर्गत है अथवा भू पर वृक्ष स्थित है तो नियमानुसार वन विभाग से अनापत्ति प्राप्त करनी होगी।
6 — नाला निर्माण हेतु इस निरापत्ति प्रमाण पत्र के अतिरिक्त (यदि प्रस्तावित निर्माण कार्य नग पालिका/टाउन एरिया सीमा में है) आवश्यक निरापत्ति प्रमाण पत्र स्थानीय नगर पालिका/नगर क्षे समिति से भी प्राप्त करना होगा।
7 — नाला निर्माण हेतु खुदाई करते समय यातायात की सुरक्षा हेतु काशन बोर्ड एवं अन्य आवश्यक सूच पट्ट आपके द्वारा लगाये जायेंगे।

क्रमशः पृष्ठ 3 प

प्रभागीय वनाधिकारी
अमरोहा वन प्रभाग
अमरोहा

8 – नाला निर्माण हेतु खुदाई करते समय अन्य भूमिगत सेवाओं/सुविधाओं को क्षति नहीं पहुँचनी च यदि किसी भी प्रकार की क्षति होती है तो क्षति की मरम्मत इत्यादि की पूर्ण जिम्मेदारी आपकी हो

9 – नाला निर्माण के उपरान्त मार्ग की सतह की मरम्मत का कार्य लो0नि0वि0 की विशिष्टियों के अ आपके द्वारा सम्पादित किया जायेगा। कार्य पूर्ण होने के 72 घंटे के अन्दर कार्यस्थल यथास्थि किया जाना अनिवार्य होगा।

(इं0 अजय गोयल)
अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण वि
अमरोहा

पत्रांक /1सी0बी0–15 दिनांक सितम्बर 2015

1 – प्रतिलिपि मुख्य अभियन्ता महोदय, मुरादाबाद क्षेत्र, लो0नि0वि0, मुरादाबाद को दिये गये आदेशों के में सूचनार्थ प्रेषित।

2 – प्रतिलिपि जिलाधिकारी महोदय, अमरोहा को अवलोकनार्थ प्रेषित।

3 – प्रतिलिपि अधीक्षण अभियन्ता महोदय, मुरादाबाद वृत्त, लो0नि0वि0, मुरादाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

4 – प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता(चतुर्थ), प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, अमरोहा को सूचनार्थ एवं आवश् कार्यवाही हेतु प्रेषित।

5 – प्रतिलिपि प्राविधिक वर्ग को।

प्रभागीय वनाधिकारी
अमरोहा वन प्रभाग
अमरोहा

अधिशासी अभियता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभा
अमरोहा

Desktop/Sharmaji/year2015-16/letters(282-284)

परियोजना प्रबन्धक
यूनिट–18 कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज
उ0प्र0 जल निगम, मुरादाबाद।

उप प्रभागीय वनाधिकारी
अमरोहा वन प्रभाग
अमरोहा

प्रभागीय वनाधिकारी
अमरोहा वन प्रभाग
अमरोहा

8 — नाला निर्माण हेतु खुदाई करते समय अन्य भूमिगत सेवाओं/सुविधाओं को क्षति नहीं पहुँचनी च यदि किसी भी प्रकार की क्षति होती है तो क्षति की मरम्मत इत्यादि की पूर्ण जिम्मेदारी आपकी हो

9 — नाला निर्माण के उपरान्त मार्ग की सतह की मरम्मत का कार्य लो०नि०वि० की विशिष्टियों के अ आपके द्वारा सम्पादित किया जायेगा। कार्य पूर्ण होने के 72 घंटे के अन्दर कार्यस्थल यथास्थि किया जाना अनिवार्य होगा।

(इं० अजय गोयल)
अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण वि
अमरोहा

पत्रांक /1सी0बी0—15 दिनांक सितम्बर 2015

1 — प्रतिलिपि मुख्य अभियन्ता महोदय, मुरादाबाद क्षेत्र, लो0नि0वि0, मुरादाबाद को दिये गये आदेशों के में सूचनार्थ प्रेषित।

2 — प्रतिलिपि जिलाधिकारी महोदय, अमरोहा को अवलोकनार्थ प्रेषित।

3 — प्रतिलिपि अधीक्षण अभियन्ता महोदय, मुरादाबाद वृत्त, लो0नि0वि0, मुरादाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

4 — प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता(चतुर्थ), प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, अमरोहा को सूचनार्थ एवं आवश्‍ कार्यवाही हेतु प्रेषित।

5 — प्रतिलिपि प्राविधिक वर्ग को।

प्रभागीय वनाधिकारी
अमरोहा वन प्रभाग
अमरोहा

अधिशासी अभियता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभा
अमरोहा

Desktop/Sharmaji/year2015-16/letters(282-284)

R.S. Amrit

परियोजना प्रबन्धक
यूनिट-18 कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज
उ0प्र0 जल निगम, मुरादाबाद।

उप प्रभागीय वनाधिकारी
अमरोहा वन प्रभाग
अमरोहा

प्रभागीय वनाधिकारी
अमरोहा वन प्रभाग
अमरोहा